राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 18/22 दायर दिनांक 14.2.2022

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रणवीर सिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत नि0 आऊ, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर ---वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ , जिला अजमेर ---प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955

दिनांक 29.4.2022

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग, उपभोग की आराजी ग्राम आऊ , पटवार हल्का झाग, भू–अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 339 रकबा 0.8332 है0 (5 बीघा 3 बीस्वा) सम्पूर्ण भूमि पर वादी विगत 40–45 वर्षो से अवाध रूप से काविज काश्त करता चला आ रहा है। वादी के कब्जे काश्त के आधार पर कानूनन खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। वादी वादी 40–45 वर्षो से काविज काश्त रहकर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। प्रतिवादी द्वारा वर्णित आराजी पर समय समय पर धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत कार्यवाही की है। वादी वर्णित आराजी पर लगातार काविज रहने के फलस्वरूप प्रतिवादी के न्यायालय भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 के तहत वादी के नाम प्रकरण दर्ज होते आ रहे है एवं वादी का कब्जा पी–14 खसरा परिवर्तनशील में कब्जा ताईद किया गया है एवं वादी काविज काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा वर्णित आराजी में अथाह आर्थिक व शारीरिक परिश्रम करके वर्णित आराजी को उपजाऊ योग्य तैयार करके चौतरफा डोल करके उपजाऊ मिट्टी डाल कर कृषि योग्य बना कर कृषि कार्य किया जा रहा है। वादी वाद वर्णित आराजी में विगत 40–45 वर्षो से अवाध रूप से काविज रहने से वादी धारा 15 रा0का0अधि0 1955 के तहत खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। संशोधित धारा 15 ए.ए.ए. में विधायिका द्वारा संशोधित किया गया कि अजमेर जिले में काश्तकारों के रिकार्ड में हुई विसंगतियों को सुधारा जा सके। इस कारण से वादी के पक्ष में वाद वर्णित आराजी 5 बीघा 3 विस्वा की खातेदारी की प्रदान कर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करवाने का वादी कानूनन अधिकारी है। वादी विगत 40–45 वर्षो से निरन्तर रूप से प्रतिवादी को पूर्ण संज्ञान होने के वावजूद काविज काश्त है। इस प्रकार वादी सतत् रूप से काविज काश्त होने से खातेदारी की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 6 विभाग क्रमांक/प.06 (39) राज.–6/2001/6 जयपुर दिनांक 7.6.2003 को श्रीमान बी.एस. मीणा शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्षो का कब्जा रिकार्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षो के वेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावें। जवकि वादी विगत 40–45 वर्षो से वर्णित आराजी पर काविज काश्त होने से सिद्ध है। इस कारण से वादी के वर्णित आराजी में खातेदारी अधिकारी परिपक्व हो चुके है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र प.–9 (6) राज – 5/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में अधिनियम पारित किया गया है कि जो [illegible] वर्षो से सिवायचक, चारागाह भूमि में काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियमन के अधि[illegible] प्राप्त है। यदि विधि का संस्थापित सिद्धांत है कि राज्य सरकार द्वारा पारित [illegible] सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया है। राज्य सरकार का समय–सम[illegible] परिपत्र जारी करने का उद्देश्य जटिल विधि के सिद्धांतो को सरलीकरण करके आम काश्तकारों को लाभ पहुंचाने की मंशा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 15:38:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधि[illegible]
रूपनगढ़ (अजमेर)

जिससे आम काश्तकारों को आजीविका के स्त्रोत प्रदान करना है। इस प्रकार वादी सद्भाविक रूप से सरकार से अपना अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी वर्णित आराजी में विगत 40–45 वर्षो से लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त है प्रतिवादी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करके वादी के उपयोग, उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी से वादी को वेदखल नहीं करे एवं कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार बाधा, व्यवधान, रूकावट उत्पन्न नहीं करने एवं वाद वर्णित आराजी को अन्य व्यक्ति संस्था के नाम दर्ज नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री वादी विरूद्ध प्रतिवादी फरमाई जावें। वाद कारण दिनांक 1.2.2022 को जब उत्पन्न हुआ कि वादी को प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारी, पटवारी हल्का द्वारा वर्णित आराजी में से वादी को बेदखल करने एवं वर्णित आराजी में से वादी को वेदखल करने एवं वर्णित आराजी का कब्जा छोड़ कर कब्जा राज्य सरकार को सुपुर्द करने की कहने पर तथा कब्जा नहीं छोड़ने पर वादी के विरूद्ध कार्यवाही करके बेदखल की कहने से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम आऊ , पटवार हल्का झाग, भू–अ0नि0 क्षेत्र कोटड़ी तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 339 रकबा 0.8332 है0 किस्म गै0 मु0 तलाई सिवाईचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुताबिक खसरा परिवर्तनशील के संवत् 2063 में ग्वार की फसल उगाकर, संवत् 2066 में भूमि समतल कर तथा संवत् 2068, 2069, 2070 व 2071 व 2072 में नमक क्यार बनाकर वादी का वाद अधिन भूमि ख0न0 339 रकबा 0.8332 है0 पर अतिक्रमण रहा है। वाद अधीन भूमि प्रतिबन्धित किस्म गै0 मु0 तलाई (जल भराव किस्म) की है जिस पर वादी के किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार कानूनन नहीं बनते है एवं वादी का अतिक्रमण कृषि प्रयोजनार्थ भी नहीं औद्योगिक (नमक उत्पादन) का है जिसमें किसी तरह से खातेदारी अधिकार नहीं बनते है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 16 दिनांक 16.10.2001 से प्रतिबन्धित किस्म की भूमि को नियमन नहीं किया जा सकता है। प्रतिवन्धित गै0 मु0 तलाई जल भराव किस्म की भूमि होने से अब्दुल रहमान प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार किसी को नियमन नहीं की जा सकती है, न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। वादी अतिक्रमी है एवं सिवायचक भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर नमक उत्पादन कर रहा है अतः नियमानुसार राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा राजहित में नियमानुसार कार्यवाही की गई है जो किसी प्रकार से गलत नहीं है। यदि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो सिवायचक/सार्वजनिक भूमियों पर अतिक्रमण व नाजायज कब्जो को प्रोत्साहन मिलेगा जो किसी तरह से आम जन के हित में नही एवं भूमि राजकीय भूमि होने से राजहित प्रभावित होने से माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमानें की कृपा करें। वकील वादी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील वादी की बहस व प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। चूंकि वाद अधीन भूमि वर्तमान में सिवाचयक खाते में दर्ज है एवं प्रतिबन्धित किस्म की भूमि है जो राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 16 दिनांक 16.10.2001 से प्रतिवन्धित किस्म की भूमि होने से नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी अनुतोष चाहने के लिए वक्त नियमन कमेटी के समक्ष तत्समय नियमो के परिपेक्ष्य में पूर्ण प्रस्ताव पेश कर सकते है। तहसीलदार रूपनगढ़ भी विधिसम्मत टिप्पणी के साथ प्रस्ताव भिजवा सकते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 15:38:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)